It is further certified that – Minutes Of Meeting of **Construction of Palkot-Barswar Motor Road** (Length 4.00Km.) regarding FRA is as following :

| S.No. | | Remark |
|---|---|---|
| (a) | The Complete process for indentification and settlement of rights under the FRA had been Carried out for the entire **1.206** hectares of Forest area proposed for diversion. A copy of record of all Consultations and meeting of the forest Right Committee(s), Sub Division Level Committee(s) are enclosed as **annexure 30.2** | Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. |
| (b) | The Diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have given consent to it. | Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate concerned villages **Goyun, Palkot & Barswar** regarding construction of aforesaid construction of Motor Road is attached. |
| ( c) | The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural Communities. | Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. |

जिला पंचायत सदस्य
पौड़ी गढ़वाल।
लीला नेगी
सदस्य
जिला पंचायत–जयहरी
क्षे० ख० जयहरीखाल (पौड़ी)

समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

16.2.15
(चन्द्र शेखर भट्ट)
जिलाधिकारी
गढ़वाल।

36 B

# प्रारूप 30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT **GARHWAL** (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Garhwal** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. **Chandra Shekhar Bhatt** I.A.S deputy commissioner, **Garhwal** on dated-16-2-15 at **Pauri** in which application claiming rights in **Reserve Forest & Civil land** area measuring **1.206** hect for the construction of **Palkot-Barswar Motor Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Lansdowne** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;...Pauri.....

Dated:..16:2:15..

16.2.15

(Chandra Shekhar Bhatt)
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

D:\PWD 5-9-15\SK-WARD\AMIN\On Line\Mandoli-Parinda-bantha.doc (Page-73)

(36)

दिनांक 16·2·15 को जिलाधिकारी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम–2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित रही :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | सर्व श्री चन्द्रशेखर भट्ट | जिलाधिकारी,पौड़ी गढ़वाल | अध्यक्ष। |
| 2. | श्री नितीश मणि त्रिपाठी | प्रभागीय वनाधिकारी,लैन्सडौन वन प्रभाग,कोटद्वार | सदस्य। |
| 3. | श्री रतन सिंह रावल, | जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी | सदस्य। |
| 4. | श्रीमती लीला देवी | जिला पंचायत सदस्य जयहरी वि०ख०जॅहरीखाल | सदस्य। |

बताया गया कि (1) मैन्दोली–परिन्दा–बौठा मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक (2) पालकोट–बरस्वार मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है। जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये है। उक्त मार्गो हेतु उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यवाही करते हुए निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये है।

मार्गो का विवरण निम्नवत है :–

1. **मैन्दोली–परिन्दा–बौठा मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक** :– इस मोटर मार्ग का निर्माण पूर्व स्वीकृत मैन्दोली–परिन्दा–बौठा मोटर मार्ग के किमी0 10.00 से आरम्भ होकर लैन्सडौन–डेरियाखाल–रिखणीखाल मोटर मार्ग के किमी0 7.00 एच0पी0बैण्ड़ पर समाप्त होता है। मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 4.00 है,परन्तु मोटर मार्ग केवल 3.00किमी0 लम्बाई में ही मुख्य साड़क से जुड़ रहा है। इस मार्ग के 1.00मी0 लम्बाई में ग्राम बौठा की नाप भूमि (कास्तकारी भूमि) तत्पश्चात 2.00 किमी0 लम्बाई में आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। मोटर मार्ग निर्माण में प्रस्तावित भूमि पर कोई अनुसूचित जनजाति,अदिवासी एवं अन्य परम्परागत वनवासी प्रभावित नही हो रहे है। इस सम्बन्ध में उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की जा चुकी है, उक्त मार्ग निर्माण में ग्राम बौठा की जनसंख्या 215 सहित अन्य क्षेत्रीय जनता भी लाभान्वित होगी, प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त उक्त गांवों को जोड़ने हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग नही है और ना ही प्रस्तावित है।

(2) **पालकोट–बरस्वार मोटर मार्ग** :– इस मोटर मार्ग का निर्माण फतेहपुर–लैन्सडौन मोटर मार्ग के किमी0 16 स्थान पालकोट से आरम्भ होकर ग्राम बरस्वार की सीमा में समाप्त होता है। मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 4.00किमी0 है। इस मोटर मार्ग से ग्राम गोयूं पालकोट एवं ग्राम बरस्वार की सिविल भूमि 0.870किमी0 में, 0.470किमी0 में आरक्षित वन भूमि तथा 2.660किमी0 में नाप भूमि प्रभावित हो रही है। मार्ग में सिविल भूमि का क्षेत्रफल 0.783है0, आरक्षित वन भूमि का 0.423है0 कुल 1.206है0

पेज–2

D:\PWD 3-9-15\SK-WARDAMINO\e Lost\Mandoli-Parinda-bautha.doc (Page-70)

36 D



हस्तान्तरण हेत प्रस्तावित किया गया है। मार्ग निर्माण में प्रस्तावित भूमि पर जनजाति,अदिवासी एवं अन्य परम्परागत वनवासी प्रभावित नही हो रहे है। इस सम्बन्ध में उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई है। उक्त मार्ग निर्माण से ग्राम पालकोट,गोयूं एवं बरस्वार एवं जडियाना, ग्वारीगांव की कुल जनसंख्या 922 लाभान्वित होगी। इन गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है और ना ही प्रस्तावित है।

## निर्णय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त मैन्दोली–परिन्दा–बौठा मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक आरक्षित वन भूमि 1.800है0 (2) पालकोट–बरस्वार मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि,सिविल भूमि एवं वन पंचायती भूमि कमशः 0.423 है0, एवं 0.483है0 लो0नि0वि0 को उप खण्डीय स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुऐ बैठक का समापन किया गया।

16.2.15
(चन्द्रशेखर भट्ट)आई0ए0एस0
जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0,लैन्सडौन**

पत्रांक 264/ 21सी0 दिनांक 21-2-2015

1. प्रतिलिपि जिला समाज कल्याण अधिकारी,पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0,
लैन्सडौन गढ़वाल।

प्रारुप–30

# FORM-1

(for liner projects)

**Government of Uttarakhand**

**Office of the District Collector Garhwal**

**No.** 2798/26-प्रशा० आर० (भू०प्रशा०) 14-15 **Dated** 29.4.

## To WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests(MoEF), Government of india's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines of submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006(FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.206 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Public work Department** for **Palkot-Barswar Motor Road** in **Pauri Garhwal** district falls within jurisdiction of **Palkot,Goyun & Barswar** village(s) in **Lansdowne** Tehsil.

It is further certified that:

(g) the compete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.206 hectares** of forest area diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure --- to………. annexure ---

(h) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(i) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl.. As above

(Chandra Shekhar Bhatt)
District Collector, Garhwal

DM/Collector Garhwal

# प्रारूप 30.2

**कार्य का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में पालकोट – बरस्वार मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.206हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।**

कार्यालय उप जिलाधिकारी **लैन्सडौन**

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

## प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति **लैन्सडौन**

उपखण्ड **लैन्सडौन** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **पालकोट–बरस्वार मोटर मार्ग निर्माण** हेतु (**0.423हे0** आरक्षित वन भूमि **0.783हे0**सिविल एवं सोयम वन भूमि ...X....हे0वन पंचायत भूमि अर्थात कुल **1.206हे0** आरक्षित एवं सिविल वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील **लैन्सडौन**) की दिनांक 07.01.2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सोहन सिंह सैनी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री सोहन सिंह सैनी उपजिलाधिकारी लैन्सडौन अध्यक्ष
2. श्री एस० के० बहुखण्डी उप प्रभागीय वनाधिकारी ........ सदस्य
3. श्री राजकुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी वि० ख० जयहरीखाल सदस्य/सचिव
4. श्रीमती सरोजनी रावत बी0डी0सी0 क्षेत्र कोटद्वार ..... सदस्य
(ग्राम विकास अधिकारी)

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
वि0 ख0–जयहरीखाल

सरोजनी रावत
क्षेत्र प0 सदस्य
कोटाखाल–10

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उप वन प्रभाग



D:\PWD 5-9-11\SK-WARDAMIN\On Line\Copy Preparation.doc (Page-08)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यो को अवगत कराया गया कि **जनपद पौडी गढ़वाल में पालकोट–बरस्वार मोटर मार्ग निर्माण** हेतु **1.206है0** वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही हैं। उक्त भूमि का सम्बधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, **लैन्सडौन** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **लैन्सडौन** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **पालकोट–बरस्वार मोटर मार्ग निर्माण** के निर्माण हेतु **1.206है0**वन भूमि **लो0नि0वि0** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में समक्ष प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील **लैन्सडौन**
जनपद **पौड़ी गढ़वाल।**

प्रतिलिपि जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील **लैन्सडौन**
जनपद **पौड़ी गढ़वाल।**

(40)

प्रपत्र – 30.3

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में पालकोट–बरस्वार मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.206 हे० वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण

## वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – गोयूं

तहसील टैन्सडोन जिला पौड़ी गढ़वाल।

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला पौड़ीगढ़ उत्तराखण्ड में पालकोट - बरस्वार परियोजना के निर्माण हेतु ( × हे0 आरक्षित वन भूमि 0.351 हे0 सिविल सोयम भूमि × हे0 वन पचायत भूमि हे0) अर्थात कुल 0.351 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत - गोयूं द्वारा दि0 14/7/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृर्षि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृर्षि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारी का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गोयूं के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान की मोहर

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ........
विकास खण्ड - जयहरीखाल
जिला-पौड़ी गढ़वाल

## प्रपत्र – 30.4

14/07/2014 ग्राम पंचायत – जड़िमाना

दिनांक 04/8/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जड़िमाना

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिश्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1. | [illegible] | [illegible] |
| 2. | Sandeep | Sandeep |
| 3. | सुनील कुमार | बिमलादेवी |
| 4. | बिमला देवी | बिमलादेवी |
| 5. | प्रेमलाल | प्रेमलाल |
| 6. | रजनी देवी | रजनी देवी |
| 7. | बूड़ी देवी | बूड़ी देवी |
| 8. | नरुली देवी | नरुली देवी |
| 9. | आरती देवी | आरती देवी |
| 10. | शम्भू प्रसाद | शम्भूप्रसाद |
| 11. | जगतराम | जगतराम |
| 12. | किशन चन्द | किशनचन्द |
| 13. | उमानन्द | उमानन्द |
| 14. | बलदेव सिंह | बलदेव सिंह |
| 15. | बबिता देबी | बबिता देबी |
| 16 | मुन्नी देवी | मुन्नीदेवी |
| 17. | हरिप्रिया रानी | हरिप्रियारानी |
| 18. | मोहनचन्द | मोहनचन्द |

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिश्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 19. | सोहन चन्द्र लालानी | सोहन |
| 20. | जोगेश्वर प्रसाद | जोगेश्वर |
| 21. | शेखर सुभाषचन्द्र | शेखर |
| 22. | अन्जु देवी<br>सुरेश चन्द्र | अन्जु देवी<br>सुरेश चन्द्र |
| 23. | मोहन चन्द्र | सोहन चन्द्र |
| 24. | रेखा देवी | रेखा देवी |
| 25. | सावित्री देवी | सावित्री देवी |
| 26. | गीता देवी | गीता देवी |
| 27. | पार्वती देवी | पार्वती देवी |
| 28. | सम्पत्ति देवी | सम्पत्ति देवी |
| 29. | ममता देवी | ममता देवी |
| 30. | जयन्ती देवी | जयन्ती देवी |
| 31. | ममता देवी | ममता देवी |
| 32. | | |
| 33. | | |
| 34. | | |
| 35. | | |
| 36. | | |
| 37. | | |
| 38. | | |

(43)

प्रपत्र – 30·3

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में पालकोट-बरस्वार मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1·206 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण

## वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – पालकोट (जदला)

तहसील लैन्सडौन जिला पौड़ी गढ़वाल।

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला पौड़ीगढ़ उत्तराखण्ड में पालकोट - बरस्वार परियोजना के निर्माण हेतु ( × हे0 आरक्षिति वन भूमि 0·252 हे0 सिविल सोयम भूमि × हे0 वन पचायत भूमि हे0) अर्थात कुल 0·252 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जदला ता. 14/8/14 द्वारा दि0 4/8/14 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृर्षि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृर्षि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारी का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रांम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पालकोट के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान की मोहर

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ...
विकास खण्ड - जयहरीखाल
जिला-पौड़ी गढ़वाल

अर्चना देवी
दि0 4/8/014

प्रपत्र – 30.4

15/8/14 ग्राम पंचायत [illegible]

दिनांक 4/8/014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत [illegible]

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1. | उमेश चन्द्र बेड़वाल | [illegible] |
| 2. | जयानन्द बेड़वाल | जयानन्द |
| 3. | प्रकाश चन्द्र बेड़वाल | प्रकाश च-द |
| 4. | राजेन्द्र बेदवाल | RB |
| 5. | विनोद बेदवाल | किरन |
| 6. | रामकृष्ण | [illegible] |
| 7. | मादे देवी | मादे देवी |
| 8. | सतीश बेदवाल | सतीश बेदवाल |
| 9. | कान्ता प्रसाद | कान्ता प्रसाद |
| 10. | दौलतराम | [illegible] |
| 11. | महेन्द्र कुमार | शालिनी |
| 12. | संतोष कुमार | [illegible] |
| 13. | आशीष बेदवाल | रवबी देवी |
| 14. | अरविंद बेदवाल | खुशबू बेदवाल |
| 15. | नन्दकिशोर बेदवाल | नन्दकिशोर |
| 16 | रमेशचन्द्र ध्यानी | रमेश चन्द्र ध्यानी |
| 17. | ललिता प्रसाद बेदवाल | Lalita Prasad |
| 18. | यशोदा देवी | [illegible] |

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिश्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 19. | प्रदीप कुमार | सुमन देवी |
| 20. | चन्द्रकला देवी | [illegible] |
| 21. | दिनेश चन्द्र थ्यानी | [illegible] |
| 22. | जगदीश प्रसाद | [illegible] |
| 23. | पंकज बेदवाल | [illegible] |
| 24. | संजना देवी | [illegible] |
| 25. | कैलाशचन्द्र बेदवाल | [illegible] |
| 26. | सुरेन्द्र प्रसाद | [illegible] |
| 27. | हरीश बेदवाल | [illegible] |
| 28. | अशोक बेदवाल | अशोक कुमार |
| 29. | कुलानन्द भट्ट | कुलानन्द भट्ट |
| 30. | प्रवेश चन्द्र | रचना बेदवाल |
| 31. | हर्षपति बेदवाल | [illegible] |
| 32. | इन्द्रमणी बेदवाल | [illegible] |
| 33. | सच्चिदानन्द बेदवाल | [illegible] |
| 34. | सदानन्द बेदवाल | [illegible] |
| 35. | सतीश बेदवाल | [illegible] |
| 36. | अमित कुमार | [illegible] |
| 37. | सन्तोषी देवी | सन्तोषी |
| 38. | Ashish Bedwal | [illegible] |

प्रपत्र – 30·3

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में पालकोट-बरस्वार मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1·206 है० वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण

## वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – बरस्वार

तहसील टैन्सडौन जिला पौड़ी गढ़वाल,

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला पौड़ीगढ़ उत्तराखण्ड में पालकोट - बरस्वार परियोजना के निर्माण हेतु ( × हे0 आरक्षिति वन भूमि 0·180 हे0 सिविल सोयम भूमि × हे0 वन पचायत भूमि हे0) अर्थात कुल 0·180 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बरस्वार द्वारा दि0 3/8/14 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारी का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बरस्वार के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान की मोहर

ग्राम सचिव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बरस्वार विकास खण्ड – जयहरीखाल जिला-पौड़ी गढ़वाल

प्रपत्र – 30.4

दिनांक 03 अगस्त /014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ......नरस्वार.........................

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिश्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1. | कैप्टन (सेनि०) भरत सिंह रावत | [signature] |
| 2. | सूबेदार (से०नि०) विक्रम सिंह रावत | [signature] |
| 3. | श्री दयाल सिंह रावत | दयालसिंह |
| 4. | पंचायत सदस्य श्रीमती कलावती देवी | कलावती देवी |
| 5. | श्री कुँवर सिंह गुँसाई | KS Gusain |
| 6. | श्री इन्द्र सिंह गुँसाई | [signature] |
| 7. | श्री ताजवर सिंह गुँसाई | ताजवरसिंह |
| 8. | श्रीमती सावित्री देवी | सावित्री देवी |
| 9. | गोपाल सिंह | [signature] |
| 10. | उत्तमसिंह | Uttam Singh |
| 11. | रतन सिंह | रतन सिंह |
| 12. | श्रीमती शाँन्ति देवी | शान्ति देवी |
| 13. | पंचायत सदस्य श्रीमती कुसुम देवी | कुसुम देवी |
| 14. | गीता प्रसाद | [signature] |
| 15. | दिनेश कोटाला पंचायत सदस्य | [signature] |
| 16 | सुरेन्द्रसिंह | सुरेन्द्रसिंह |
| 17. | गणेश प्रसाद | [signature] |
| 18. | राजेन्द्र प्रसाद | राजेन्द्र प्रसाद |

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिश्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 19. | आनन्द | |
| 20. | जमन सिंह | जमन सिंह |
| 21. | गोपाल दत्त कुडाकोटी | गोपालदत्त |
| 22. | कमला देवी | कमलादेवी |
| 23. | जयानन्द कुडाकोटी | जयानन्द |
| 24. | हीरा लाल | हीरा लाल |
| 25. | ध्यान चन्द | |
| 26. | रघुवीर सिंह | रघुवीर सिंह |
| 27. | बीरेन्द्र लाल | बीरेन्द्रलाल |
| 28. | अन्जू देवी | अन्जू देवी |
| 29. | कृष्णपाल सिंह | |
| 30. | मानसिंह रावत पंचायत सदस्य | मानसिंह |
| 31. | देवेश्वरी देवी | देवेश्वरी देवी |
| 32. | गोपाल सिंह | गोपाल सिंह |
| 33. | गणेश सिंह | गणेश सिंह |
| 34. | सन्तोषी देवी | सन्तोषी देवी |
| 35. | सीता देवी | सीता देवी |
| 36. | चन्द्रपाल सिंह रावत | |
| 37. | जमुना देवी | कमला देवी |
| 38. | दयाल सिंह | दयाल सिंह |

प्रधान ग्राम पंचायत ... हस्ता ... दिनांक ... (पौड़ी गढ़वाल)